सेवा में –

माननीय अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
फरीदकोट नई दिल्ली
भारत पिन– 110001

दिनांक– 20/08/2023

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0– 521/2022 , सम्पूर्णा नन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित **आदेश दिनांक 27/04/2023 व 03/07/2023** के सम्बंध में–

महोदय्–

सादर अवगत कराना है कि उक्त केस में माननीय अधिकरण के निर्देश पर **दिनांक 23 व 24 नवम्बर 2022 को अहरौरा थाना क्षेत्र के भगौती देई, सोनपुर, बियाहूर व चकजाता** के पहाड़ो के खनन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण केन्द्रीय जॉच समिति द्वारा किया गया था जिसमें बहुत ही ज्यादा खामियॉ पाई गई थी जिसकी रिपोर्ट भी माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में **दिनांक 03/02/2023 को केन्द्रीय जॉच समिति द्वारा भेजा गया था जो 06/02/2023 माननीय एनजीटी के साइट पर अपलोड किया जा चुका है ।** जिसमें कुल 40 खनन पट्टों का जिक्र है जिसमें से 39 खनन पट्टों के संचालकों पर सम्भावित जूर्माने की राशि बतायी गई थी साथ ही 26 क्रेशर प्लांटों का भी जिक्र था और बताया गया था कि सभी मानक विपरीत संचालित हो रहे हैं जिसमें यह नही बताया गया था कि किस क्रेशर प्लांट पर कितनी कितनी खामिया मिली जिसे माननीय अधिकरण ने गम्भीरता से लेते हुए **दिनांक 27/04/2023** जॉच समिति को यह निर्देश दिया कि प्रत्येक क्रेशर प्लांटों का स्थलीय निरीक्षण करके प्रत्येक क्रेशर प्लांटों का रिपोर्ट माननीय अधिकरण में 2 महीने के अन्दर सौप दें। साथ ही दिनांक 27/04/2023 के सुनवाई के पश्चात उपरोक्त ग्राम सभा में **प्रश्नगत खनन पट्टों से किसी भी तरह कि खनन पर लगाने का आदेश दिया गया जिसकी जिम्मेवारी श्रीमान जिला अधिकारी मिर्जापुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया देखें संलग्नक संख्या 1** माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश की छाया प्रति माननीय न्यायाधिकरण के उक्त निर्देश के क्रम में **श्रीमान् जिलाधिकारी मिर्जापुर की ओर से बनाई गई संयुक्त समिति ने दिनांक – 18/06/2023 को उपजिलाधिकारी चुनार के नेतृत्व में जॉच किया गया जिसमें दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के माध्यम से पता चला कि श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि स्टोन क्रेशर प्लांटों पर पर न तो समुचित ऊंचाई में बाउंड्रीवाल मिली न ही हरित पट्टिका विकसित करने के लिए पौधरोपण कराया गया था।पानी के छिड़काव आदि की व्यवस्था भी मानक के अनुरुप नहीं थी। वाटर मीटर भी नहीं पाया गया । यहां उड़ने वाली धूल के निस्तारण के लिए भी समुचित प्रबंध नहीं मिले। दिनांक 19/06/2023 के दैनिक जागरण समाचार पत्र का छाया प्रति संलगन है। लेकिन अधिकतर खनन पट्टे संचालित हो रहे हैं जो सिधे – सिधे कोर्ट के आदेश का अवमानना कर रहे हैं ।** महोदय दिनांक 20/07/2023 व दिनांक 30/07/2023 को ग्रामसभा भगौती देई में स्थित खनन स्थलों में अवैध रुप से भारी ब्लास्टिंग कराई गई सिकके चलते कई लोंगों के घरों में क्षति हुई व कई लोग घायल हो गए जिसको लेकर ग्रामिणों ने स्थानीय थाना पर प्राथमिकि दर्ज कराया जिसका fir no. 0123/2023 व 0131/2023 जिसकी छाया प्रति संलग्न है। इसके साथ ही कई खदानों में खनन कार्य व अवैध रुप से भारी ब्लास्टिग दिनांक 18/08/2023 तक पुरे जोर शोर से हो रहा है और क्रेशर प्लांटों का भी संचालन हो रहा है।जिसका विडियों पैनड्राइव में करके मा0 अधिकरण को भेजा गया है ।

दिनांक 27/04/2023 के निर्देश पर ही संयुक्त जांच समिति ने **दिनांक 01/07/2023 को क्षेत्र के 26 केशर प्लांटों का स्थलीय निरीक्षण किया** संयुक्त जांच समिति द्वारा किसी तरह की जांच कि सूचना प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी काफी देर बाद प्रार्थी को इसकी सूचना क्षेत्र के किसी व्यक्ति से प्राप्त हुई तो प्रार्थी भी मौके पर पहुचा जिसके बाद 6 केशर प्लांटों का निरीक्षण किया गया संयुक्त जांच टीम ने बताया कि 20 केशर प्लांटों का निरीक्षण आपके यहां आने से पूर्व किया जा चुका है महोदय प्रार्थी के उपस्थिति में जिन 6 केशर प्लांटों का निरीक्षण किया गया था वे सब बिल्कुल ही मानक विपरीत विना किसी मानक के थे । महोदय दिनांक 03/07/2023 को उक्त मुकदमें की सूनवाई में **उपरोक्त ग्राम सभा में संचालित सभी स्टोन केशर प्लांटों को अग्रिम आदेश तक बंद करने का आदेश माननीय एनजीटी द्वारा दिया गया है देंखें संलग्नक संख्या– 2 लेकिन अधिकतर स्टोन केशर प्लांट खनन पट्टे संचालित हैं जो माननीय कोर्ट के आदेशों का अवमानना है।**

महोदय यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र की समस्त पहाड़ीयॉ बिन्ध्यपर्वत की श्रृंखला हैं जहॉ अनेको किस्म के पेड़ पौधे व औषधियॉ पाई जाती है जिससे तमाम तरह की जटिल विमारीयों का इलाज भी यहॉ के जड़ी बूटियों से किया जाता रहा है लेकिन अंधाधूंध ब्लास्टिंग व मानक विपरीत अत्यधिक गहराई तक खनन करने के कारण यहॉ पाए जाने वाले तमाम जड़ी बूटियॉ विलुप्त होने के कगार पर हैं, वहीं प्राकृतिक व ऐतिहासिक दृष्टीकोण से देखा जाए तो इस क्षेत्र की पहाड़ीयों में बलूया लाल पत्थर पाया जाता है जिसे इमारती पत्थर के श्रेणी में रखा गया है मौर्य काल के समय में यहॉ के पत्थरों से ही शीलालेख तैयार करके जगह जगह लगवाया गया था वर्षावास के समय तथागत गौतम बुद्ध जी के द्वारा लिखा गया छठवॉ शीलालेख यहीं के पहाड़ी अहरौरा भण्डारी देवी के पहाड़ के बगल में यहीं के पत्थर पर ही लिखा गया आज भी स्थित है, वर्तमान समय में डॉ0 भीम राव अम्बेडकर पार्क लखनऊ और ग्रेटर नोएडा व श्रीराम मन्दिर अयोध्या में यहीं का इमारती बलूआ लाल पत्थर लगाया गया है और लगाया जा रहा है साथ ही तमाम मुर्तियां व नकासीदार निर्माण कार्य यहां के पत्थरों से किया जाता है इमारती बलूआ लाल पत्थर बहुमूल्य पत्थरों में से एक है जिसमें उक्त गॉवों में पड़ने वाले पहाड़ों में बहुत पहले से ही खनन पट्टे किए जा रहे थे जिसमें मैनूवल कार्य करने की अनुमति होती थी और यह निर्देश होता था कि किसी भी तरह बिस्फोटक प्रयोग करने पर खनन पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा जिससे विना किसी पर्यावरणीय नुकसान के जो पत्थर जिस तरह का था उससे वहीं बनाया जाता था जैसे जो पत्थर मूर्ति बनाने लायक है तो उसे मूर्ति बनाने के काम में लिया जाता था जो पटिया बनाने लायक होता था उससे पटिया जो बोल्डर बनाने लायक होता था उससे बोल्डर व गिट्टी बनाया जाता था जिससे सरकार को वास्तविक रायल्टी के रुप में अच्छा धन राशि प्राप्त होता था लेकिन वर्तमान समय में जितने भी खनन पट्टे किए गए हैं सभी में भारी मात्रा में बिस्फोटक का प्रयोग करके सभी तरह के पत्थरों को बोल्डर के रुप में तब्दिल करके उससे गिट्टी बनाई जा रही है जिसके कारण पर्यावरण को भारी क्षति तो हो ही रही है सरकार को भी वास्तविक धन राशि रायल्टी के रुप में नहीं मिल रही है और क्षेत्रवासियों को भी तमाम तरह की स्वास्थ्य सम्बंधी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है भारी मात्रा में बिस्फोटक का प्रयोग करने से इमारती पत्थरों का अस्तित्व ही खत्म होने के कगार पर है जोकि प्राकृतिक धरोहर है, जिसे नष्ट होने से रोका जाना अति आवश्यक है। मानक विपरीत खनन कार्य करने से लगभग 100–150 फिट गहरे गड्ढ़े हो जाने के कारण आए दिन कोई न कोई दूर्घना हो रही है, चुकी खनन कार्य निचे होने के कारण उसमें पानी निकलना स्वाभाविक है जिसे मशीनों के माध्यम से उस पानी को बराबर निकालने का काम किया जाता है खनन कार्य को सूचारु रुप से जारि रखनें के लिए जिससे भूजल का वेतहासा दोहन होता है जिसके चलते क्षेत्र में भूजल स्तर काफी तेजी से निचे जा रहा है जिसे रोका जाना अति आवश्यक है और मानक विपरीत

खनन कार्य करने से हुए गड्ढ़ों को मिट्टी डालकर भरने की भी अति आवश्यकता है ।

श्रीमान जी कुछ खनन पट्टा धारकों द्वारा अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से I.A दाखिल करके अपने खनन पट्टे को पुनः संचालन की अनुमति मांगी गई है जिसका प्रार्थी विरोध करता है तथा माननीय न्याधिकरण से प्रर्थना करता है कि किसी भी खनन के संचालन की अनुमति न दें यहीं न्यायदार होगा क्योंकि जो तथ्य इनके द्वारा दिए जा रहे हैं वे बिल्कुल ही निराधार व सत्य से परे हैं। जैसा कि इमेल के माध्यम से हमें प्राप्त I.A N0.656/2023 RK Construction Company में कुल 282 पेज का मैटर भेजा गया है उसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि मेरे खनन पट्टे द्वारा सभी मानक पुरा कर लिया गया है अब हमें पुनः खनन करने का अनुमति आदेश जारि किया जाए लेकिन जो तथ्य उनके द्वारा दिया गया है वह निराधार है, जो निम्नलिखित है–

संयुक्त जॉच समिति की रिपोर्ट में निष्कर्ष	आरके कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा दावा किए गए अनुपालन की स्थिति	प्रार्थी का आब्जेक्शन
A-D		A-D तक कोई टिप्पणी नहीं
E– बलूआ पत्थर का प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन 20,200 वर्ग मीटर प्रति वर्ष है और खनन विभाग मिर्जापुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अबतक 39,273 घन मीटर बलुआ पत्थर का उत्खनन किया जा चुका है	बलुआ पत्थर के उत्पादन की अनुमेय मात्रा 20,200 घन मीटर प्रति वर्ष है जबकि आवेदक ने 745 दिनों में केवल 39,273 घन मीटर बलुआ पत्थर की खुदाई की जो कि अनुमेय 40,400 घन मीटर के भीतर है।	39,273 घन मीटर बलूआ पत्थर खनन का जो रिपोर्ट खनन विभाग मिर्जापुर द्वारा दिया गया है वह जारि किए गए 11 एमएम प्रपत्र (परमिट) के आधार पर दिया गया है वास्विक खनन का रिपोर्ट खनन पट्टे में हुए खनन कार्य को नापने अंर्थात मापने पर ही पता चल पाएगा अतः मापक यंत्रों से खनन पट्टे मे हुए खनन का माप कराया जाय।
F– उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तावक ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीई/सीटीओ प्राप्त नहीं किया है ।	प्रस्तावक ने 17/05/2023 को उक्त सीटीओ के लिए आवेदन किया था और यूपीपीसीबी ने जल (प्रदूषण की रोकथामऔर नियंत्रण)अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 दोनो के तहत सीटीओ प्रदान किया गया है 25/05/2023 यूपीपीसीबी के मुख्य पर्यावरण अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ।	यह बात सत्य है कि प्रस्तावक को दिनांक 25/05/2023 को यूपीपीसीबी द्वारा सीटीओ जारि किया गया है लेकिन यह समझ से परे है कि एक सप्ताह के अन्दर दिए जाने वाले सीटीओ का आवेदन आवेदक ने खनन कार्य सूरु होने से पहले या खनन कार्य करने के कुछ दिन बाद ही क्यो नहीं लिया गया और क्षेत्रिय प्रदूषण अधिकारी,खनन अधिकारी मिर्जापुर यूपीपीसीबी ने उक्त खनन से कार्य किस आधार पर होने दिया, साथ ही प्रस्तावक द्वारा यह नहीं बताया गया है कि सीटीओ में दिए गये शर्तो का

		कितना पालन हो रहा है या होगा।
G–उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तावक ने भूजल प्राधिकरण से भूजल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त नहीं की है	आवेदक ने उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019 के तहत भूजल प्राधिकरण से भूजल निकासी के लिए 14/11/2022 को विधिवत एनओसी प्राप्त कर ली है।	आवेदक के पास अगर वैध एनओसी था तो दिनांक 23/11/2022 को यह दस्तावेज संयुक्त जॉचसमिति को क्यों नही दी गई जबकि सभी खनन पट्टा धारको को यह निर्देश था कि सम्बंधित दस्तावेजों के साथ अपने अपने खनन पट्टे पर उपस्थित रहने का । साथ ही प्रस्तावक द्वारा यह नहीं बताया गया है कि एनओसी प्राप्त होने के बाद उसके शर्तो का पालन किस स्तर तक कितना किया जाता है या नहीं किया जाता है दिनांक 14/11/2022 से 03/08/2023 तक कितने गैलन भूजल को निकाला गया और उसे किस कार्य में प्रयोग किया गया
H– खनन विभाग मिर्जापुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार संबंधित पट्टे की केएमएल फाइल विभाग के पास उपलब्ध है।	इसके लिए किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है	कोई टिप्पणी नहीं।
I– उल्लिखित प्रत्येक निर्देशांक पर स्तम्भ स्थल पर दिखाई नहीं दे रहे थे।	उक्त स्तम्भो को ईसी अनुदान के समय डीएमओ जिला खान अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था जिसकी विधिवत जांच की गई है ईसी दिनांक 13/05/2020 में उल्लेखित है। उक्त स्तम्भ स्थल पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं जो कि संलग्न कि जा रही तस्वीरों और अनुसंलग्नक 9 के रुप में चिन्हित होने से स्पष्ट है फोटो ए,बी,सी,डी, ई,एफ	प्रस्तावक के द्वारा भेजे गए अनुसंलग्नक 9 मे फोटो के अनुसार कुल 6 पिलर स्थापित किया गया है जिसमें से पिलर ए,सी,ई को लोकेशन सहित फोटो है लेकिन बी,डी,एफ पिलर का फोटो विना लोकेशन के है इससे स्पष्ट है कि पिलर लगाने और खनन करने में अनियमितता बरती गई है, साथ ही जॉच समिति और प्रस्तावक के लोकेशन में भी अन्तर है जिसे प्रस्तावक द्वारा भेजे गए आई0ए0 न0 656/2023 के पृष्ट संख्या 110,111 व 137 से 142 का अवलोकन करके स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है।
J– पट्टा क्षेत्र के परिधि के चारो ओर कोई बाड़ नहीं लगाई गई थी।	पट्टा क्षेत्र की परिधि के चारो ओर उचित बाड़ लगाई गई है जिसे विधिवत खड़ा किया गया है	जब जॉच समिति क्षेत्र में खनन पट्टों का जॉच कर रहीं थी तब कोई बाड़ नहीं था। यह जो बाड़

	उक्त बाड़ लगाने के फोटोग्राफीक साक्ष्य इसके साथ संलग्न किया गयाहै फोटो जी, एच,	दिखाया जा रहा है प्रस्तावक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह बाड़ खनन पट्टे का है कि केशर प्लाट स्थल का खनन पट्टा के पिलरों फोटो ए,बी,सी,डी,ई,एफ से स्पष्ट हो रहा है कि यह खनन पट्टे का बाड़ नहीं है क्योकि किसी भी फोटो मे यह बाड़ दिखाई नहीं दे रहा है जबकि स्वाभाविक रुप से देखा जाए तो पिलरों के किसी न किसी तरफ बाड़ दिखता ही चाहे भले ही स्पष्ट रुप से न दिखता दूरी होने के वजह से ।
K-एसईआईएए द्वारा दी गई ईसी में लगाई गई शर्तो के अनुसार कोरजोन के साथ–साथ बफर जोन में परिवेशी वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित नहीं किए गए हैं।	लीज क्षेत्र के छोटे आकार के कारण परिवेशी वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित करना सम्भव नहीं है हांलाकि आवेदक का कहना है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर/826 ई दिनांक 16/11/2009 में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार परिवेशी वायुमण्डल बनाए रखने के लिए समय–समय पर पर टैंकरों से उचित जल फॉगिंग और छिड़काव किया जाता है और यहां तक कि एंटी स्माक गन का भी प्रयोग किया जाता है एन्टी स्माक गन पानी छिड़काव और पानी के टैंकरों के फोटो ग्राफिक इसके साथ अनुसंलग्नक 9 के अनुसार संलग्न है।	प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र छोटे आकार का होने के कारण परिवेशी वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित करना सम्भव नहीं है। जबकि खनन पट्टा 2 हेक्टेयर का है जिसे छोटा नहीं कहा जा सकता और अगर परिवेशी वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित करना संभव नहीं है तो क्या प्रस्तावक द्वारा इसकी सूचना विभाग को दिया गया था। परिवेशी वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित करने के लिए कितना एरिया की जरुरत होती है यह भी बताने का कष्ट करें । जहॉ तक टैंकरों व एंटी स्माग गन से पानी छिड़काव कराने की बात कहीं जा रही है वह बिल्कुल झूठ व निराधार है जो फोटो लगाई गई है उसमें लोकेशन नहीं दर्शाया गया है इससे स्पष्ट नहीं है कि वह फोटो कहॉ का व किस दिन का है प्रस्तावक से आग्रह है कि उक्त मशीनों के क्रय रशिद को भी संलग्न करें जिससे स्पष्ट हो सके कि आपके द्वारा कब से और कहॉ उक्त मशीनो का संचालन किया जा रहा है।
L–परियोजना प्रस्तावक ने	यह रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं	यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना

एसईएलएए द्वारा ईसी की अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है।	की जा सकी है हालॉकि इसे अगली नियत तारीख से पहले विधिवत और तुरन्त प्रस्तुत किया जाना चाहिए, प्रस्तावक सहमत है।	चाहिए था इससे प्रस्तावक भी सहमत है लेकिन यह रिपोर्ट किन कारणों से नहीं भेजी गई और कब से नहीं भेजी जा रही है स्पष्ट नहीं है इससे स्पष्ट है कि एसईएलएए द्वारा प्रस्तावक को जारी ईसी के शर्तो का उलंघन किया गया है।
M–पट्टे के चारो ओर वृक्षारोपण के पर्याप्त स्तरों वाले विंड ब्रेक को नहीं बढ़ाया गया है।	आवेदक को दी गई ईसी शर्त है कि आवेदक को 400 पेड़ लगाने होगें,आवेदक उक्त 400 पेड़ों को विधिवत खरीद रहा है और उन्हे उचित स्थानों पर लगा रहा है। हालांकि क्षेत्र मे चट्टानी भूभाग और पत्थरों की सर्वव्यापता के कारण कभी कभी पौधे की जड़े तो उत्पन्न हो जाती है लेकिन पौधा पुरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। हालॉकि, यह एक सतत प्रकिया है जिसका आवेदक द्वारा विधिवत ध्यान रखा जाता है और समय–समय पर और जब भी आवश्यकता हाती है, नए वृक्षारोपण जोड़े जाते हैं। यूपीपीसीबी द्वारा दिनांक 24/06/2023 के पत्र की प्रति जिसमें दर्शाया गया है कि आवेदक ने उपरोक्त उद्देश्य के लिए 500 पौधे खरीदे हैं।	आवेदक ने यह बात स्विकार्य किया है कि ईसी के शर्त के अनुसार उसे 400 पेड़ लगाने थे। लेकिन पौधे कहीं भी विकशित नहीं हैं हालॉकि खनन पट्टा 09/11/2020 को ग्रांट किया गया है उसके बाद से ही काम किया जा रहा है। यह बात सत्य है कि क्षेत्र चट्टानी भूभाग है लेकिन यह भी कि हर जगह चट्टान नहीं है मिट्टी भी है और मशिनरी कार्य होने से पूर्व पुरा क्षेत्र हरा भरा रहता था जहॉ हजारों पेड़ पौधे व वनस्पितियां हमेशा अच्छादित रहती थी। और अब भी हो सकती है अगर ब्लास्टिंग व मशिनो से कार्य बन्द करा दिया जाय तो। आवेदक का यह कथन की हमने 500 पौधे खरीदे हैं सत्य हो सकती है लेकिन पौधे अभी विकशित नहीं हैं जो पूर्ण रुप से सत्य है। अतः मा0 अधिकरण से आग्रह है कि जब तक निर्धारित संख्या में पौधे विकशित न हो जाएं तब तक खनन पट्टे को पुनः संचालित करने की अनुमति न दिया जाय।
N–बिस्फोटक कम्पन अध्ययन रिपोर्ट यूपीपीसीबी को प्रस्तुत नहीं की गई है।	यह रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी, हालॉकि इसे अगली नियत तारीख से पहले विधिवत और तुरन्त प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक होतो प्रस्तावक इसके सम्बंध में एक वचन पत्र प्रदान करने के लिए सहमत है।	महोदय प्रस्तावक ने यह स्विकार्य किया है कि बिस्फोटक कम्पन अध्ययन रिपोर्ट जमा नहीं किया गया है। इसमा एक मात्र कारण यही है कि खनन पट्टा धारकों द्वारा नियम विरुद्ध व मानक विपरीत भारी मात्रा में ब्लास्टिंग कराई जाती है जिसके कारण तिब्र

		कंपन होता है और भुकम्प जैसा झटका महसूस होता है पुरे क्षेत्र में जिसके कारण गॉव के अधिकतर घरों में दरारे भी आ गई है। इसी को छुपाने के लिए रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। और शिकायपत्र में भी इस बात को प्रार्थी ने लिखा है।
O– खनन गतिविधि के कारण हो रही कमी की निगरानी के लिए कोर जोन में भूजल की निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।	यह रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी, हालॉकि इसे अगली नियत तारीख से पहले विधिवत और तुरन्त प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तावक सहमत है।	खनन कार्य मानक विपरीत होने के वजह से क्षेत्र में भूजल स्तर बहुत तेजी से निचे जा रहा है क्षेत्र के बहुत से कुवें व हैण्ड पम्पों का पानी सुख गया है,थोड़ी वारिस हाने के कारण कुवें व हैण्ड पम्पों में पानी आ गया है अन्यथा यहॉ के लोगों के लिए पानी के लिए भी दर दर भटकना पड़ता। इसी को छूपाने के लिए यह रिपोर्ट नहीं भेजा गया है।
P– खनन बेंच की ढ़लान और अंतिम गड्ढ़े की सीमा को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किया गया है लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।	यह रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी, हालॉकि इसे अगली नियत तारीख से पहले विधिवत और तुरन्त प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक होतो प्रस्तावक इसके सम्बंध में एक वचन पत्र प्रदान करने के लिए सहमत है।	महोदय खनन क्षेत्र में 100–150 फीट गहराई तक और सिधा खड़ा खनन किया गया है सिर्फ खदान में गाड़ियों के आने जाने के रास्ते के रुप में ढ़लान बनाया गया है जिसका विडियो मा0 अधिकरण को पेन ड्राइव के माध्यम से भेजा गया है। इसिलिए यह रिर्पोट नहीं भेजा गया है।
Q- खनन और सामग्री के परिवहन के द्वौरान पट्टा क्षेत्र और उसके आसपास धूल को दबाने के लिए कोई तन्त्र तैनात नहीं किया गया है।	खनन और सामग्री के परिवहन के द्वौरान पट्टा क्षेत्र और उसके आसपास धूल को दबाने के लिए पानी के छिड़काव और पानी फागिंग की उचित व्यवस्था तैनात की गई है । एन्टी स्माग गन, वाटर स्प्रिंकलर्स और वाटर टैंकरों के फाटोग्राफिक प्रमाण इसके साथ संलग्न किए जा रहे हैं। फोटो i,j,k,l	खनन और सामग्री के परिवहन के द्वौरान पट्टा क्षेत्र और उसके आसपास धूल को दबाने के लिए कोई तन्त्र तैनात नहीं किया गया है। यह बात सत्य है खनन क्षेत्र में कोई पानी का छिड़काव नहीं होता है,जो फाटो भेजा गया है प्रस्तावक के द्वारा वे किसी प्लांट का है न की खनन पट्टे का और अब का है जब कि खनन पट्टे व केशर प्लांट दोनों बंद है तो पानी काहॉ गिराया जा रहा है।
R– पट्टा क्षेत्र से मुख्य सड़क तक वाहनों की आवाजाही के लिए परिवहन पथ कीचड़युक्त एवं	ईसी में आठ 8 वाहनों को अनुमति है और वे सभी सफलता पूर्वक चल रहे हैं जो कि 39,273 घन	पट्टा क्षेत्र से मुख्य सड़क तक वाहनों की आवाजाही के लिए परिवहन पथ कीचड़युक्त एवं

उबड़ खाबड़ है।	मीटर बलुआ पत्थर की सफल खुदाई के तथ्य से स्पष्ट है, जो कि यदि रास्ता किचड़युक्त होता तो संभव नहीं होता क्योकि खनन खनन टिपर चल ही नहीं पातें।	उबड़ खाबड़ है इसका विडियों भी मा0 अधिकरण को पेन ड्राइव के माध्यम से भेजा गया है।
S– उत्खनन की मात्रा मा वजन करने के लिए ब्रिज नहीं लगाया गया है।	वजन पुल किया गया था	इसके सम्बंध में कोई टिप्पणी नहीं
T– परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार उत्खनन सामग्री को आगे के लिए नजदीकी इकाइयों को बेच दिया गया है।	किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
U– समिति के क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा गया की खनन कार्य बंद था।	किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।	समिति के क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा गया की खनन कार्य बंद था। यह बात पूर्ण रुप से सत्य है।

महोदय मै कानून का बहूत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ लेकिन जो बाते सत्य है और सामने दिखाई दे रहा है वहीं सब यहॉ पर लिखा गया है। खनन क्षेत्र के साथ ही आवादी क्षेत्र में भी प्रदूषण विकराल रुप से फैला है उसका एक मात्र कारण है क्षेत्र में अवैध रुप से मानक विपरीत ब्लास्टिंग व स्टोन क्रेशर प्लांटों का संचालन जिसे हर हाल में बंद होना अतिआवश्यक है क्योकि यह लोगों के जीवन से जूड़ा हुआ मामला है यह अनुच्छेद– 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण का उलंघन भी है क्योकि लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छ आक्सीजन का मिलना बहुत ही आवश्यक है लेकिन यहॉ के लोगों को शुद्ध आक्सीजन नहीं मिल रहा है जिसके चलते लोगों को कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उक्त I.A के विद्यवान अधिवक्ता महोदय द्वारा कई केश का लिस्ट इसके साथ संलग किया गया है जिसके सम्बंध में मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ऐसा मै समझता हूँ। प्रकाशन सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी कानूनी पुस्तक–विक्रेता तथा प्रकाशन 30–डी/1, मोतीलाल नेहरु रोड, प्रयागराज भारत का संविधान चौवना संस्करण 2022 लेखक डॉ0 जय नारायण पाण्डेय द्वारा लिखित पुस्तक के पृष्ट संख्या– 315 पर 28 वें लाइन से 32 वें लाइन में रूरल लिटिगेशन एण्ड इन्टाइटिलमेन्ट केन्द्र,देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[3] में साफ – साफ लिखा गया है कि "रूरल लिटिगेशन एण्ड इन्टाइटिलमेन्ट केन्द्र,देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[3]" के मामले में एक लोकहित वाद फाइल करके न्यायालय को यह बताया गया कि देहरादून में कुल पत्थर की खुदाई के कारण आस–पास का पर्यावरण दूषित हो रहा है आस–पास के निवासियों को हानि पहुँच रही है। न्यायालय ने इस बात की जॉच के लिए एक समिति नियुक्त किया और समिति की रिपोर्ट मिलने पर इन पत्थर की खानों की खुदाई का काम रोकने का आदेश दिया। जिसका फोटो स्टेट संलग्न है देखें संलग्नक – 3। जिन प्रस्तावको द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमने मानक पूरा कर लिया है इसे देखते हुए उनको पुनः खनन की अनुमति दी जाय तो उनके सम्बंध में यह कहना है कि वे किसी मानक को पुरा नहीं किए हैं वे अपने खनन कार्य पूर्व कि भाति ही जॉच समिति के जॉच रिपोर्ट दिनांक 03/02/2023 के बाद भी विना सीटीओ/सीटीई मानक विरूद्ध संचालित करते रहे और माननीय अधिकरण के बंदी आदेश दिनांक 27/04/2023 के बाद अप्लाई कर के सीटीओ प्राप्त किया गया है

जिसका कोई औचित्य नहीं है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त विषयक केस में क्षेत्र में संचालित खनन पट्टों व क्रेशर प्लांटों के संचालन पर लगाए गए रोक के आदेश का कड़ाई के साथ पालन कराया जाए व नियम विरुद्ध कार्य करने वाले खनन पट्टे पर स्थाई रुप से रोक लगाने के साथ ही सीटीओ/सीटीई का उलंघन करने वाले सभी खनन पट्टे निरस्त किए जाएं। दिनांक 13/07/2023 को संयुक्त जॉच समिति द्वारा मा0 एनजीटी को संचालित क्रेशर प्लांटों के सम्बंध में भेजे गए रिपोर्ट के अनुसार किए गए सिफारीसों को लागू करते हुए सीटीओ/सीटीई का उलंघन करने वाले क्रेशर प्लांटों का सीटीओ खत्म करते हुए उनके संचालन पर स्थाई रुप से रोक लगाई जाए भविष्य में जो भी खनन पट्टा आवंटीत किया जाए वों उसी गॉव के व्यक्ति के नाम से आवंटीत हो जिस गॉव में पहाड़ स्थित हो और सिर्फ मैनुअल (हाथ से) कार्य करने की अनुमति हो और जो खनन पट्टा धारक तथा स्टोन क्रेशर संचालक माननीय कोर्ट के आदेशों का उलंघन कर रहें हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें आप की महान कृपा होगी।

प्रार्थी

Sampurnanand

सम्पूर्णा नन्द 21/08/2023

ग्राम– भगौती देई, पो0– पटिहटा, चुनार थाना– अहरौरा मिर्जापुर उ0प्र0

पिन– 231304 मो0– 9450936703 इमेल 89sampurna@gmail.com

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** मिर्ज़ापुर **P.S. (थाना):** अहरौरा **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0123 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 20/07/2023 19:40 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	506
2	भा दं सं 1860	504
3	भा दं सं 1860	286

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** गुरूवार **Date from (दिनांक से):** 20/07/2023 **Date To (दिनांक तक):** 20/07/2023

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/07/2023 **Time (समय):** 19:40 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 052 **Date and Time (दिनांक और समय):** 20/07/2023 19:40 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1.

(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर - पश्चिम, 8 कि. मी.

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): ग्राम घासीपुर के पास ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): शौकत अली उर्फ सौकत अली ग्राम प्रधान

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री मुहम्मद हुसैन

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1988

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	घासीपुर , अहरौरा, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	घासीपुर , अहरौरा, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, भारत

(j)

Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7376565217

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	दिव्याशं कंस्ट्रक्शन कम्पनी के मालिक नाम पता अज्ञात			1. अज्ञात,अज्ञात
2	मुंशी मुरली			1. अज्ञात,अज्ञात

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर (उ0प्र0) महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी शौकत अली पुत्र श्री मुहम्मद हुसैन निवासी ग्रा0 घासीपुर (ग्राम प्रधान) थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर उ0प्र0 का निवासी हूँ। आज दिनांक 20.07.2023 समय करिब 1.30 PM दिन में मेरे गाँव के पास स्थित दिव्यांश कंस्ट्रक्शन कम्पनी के मालिक एवं मुंशी मुरली निवासी अज्ञात द्वारा भारी मात्रा में ब्लास्टिंग किया गया जिससे गिट्टी (पत्थर का टुकडा) निकल कर लोगो के मकानो, छतो पर गिरा जिससे तैरून पत्नि श्री जूमराती व झून्नी देवी को चोटे आई मना करंने व पूछने पर उक्त मुंशी द्वारा जान से मारने व फर्जी मुकदमे में फसाने का धमकी दे रहे हैं। एवं भद्दी भद्दी गाली गुप्ता दिए। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उक्त विषय(मामले) की जाँच करते हुए उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें, आपकी अतिकृपा होगी। प्रार्थी शौकत अली (सौकत अली) पुत्र श्री मु0 हुसैन ग्रा0 घासीपुर थाना अहरौरा ज0- मिर्जापुर (उ0प्र0) मो0 7376565217 Sampurnanand सम्पूर्णानन्द पुत्र श्री कल्लू राम ग्रा0 भगौती देई पो0 पटिहटा थाना अहरौरा ज0 मिर्जापुर (उ0प्र0) दिनांक 20.07.2023 नोटः मै उ0नि0/हे0मु0 रामनिवास यादव प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर व कायमी मेरे द्वारा अक्षरशः टाइप कराकर अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** ARUN KUMAR YADAV **Rank (पद):** उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 942190526 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** मिर्ज़ापुर **P.S. (थाना):** अहरौरा **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0131 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 30/07/2023 23:55 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	286
2	भा दं सं 1860	504
3	भा दं सं 1860	506

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** रविवार **Date from (दिनांक से):** 30/07/2023 **Date To (दिनांक तक):** 30/07/2023

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/07/2023 **Time (समय):** 23:55 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 066 **Date and Time (दिनांक और समय):** 30/07/2023 23:55 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1.

(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर - पश्चिम, 08 कि. मी.

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): वहद ग्राम लालपुर,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): जयसिंह पाल

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री साधू पाल

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1988

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	लालपुर , अहरौरा, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	लालपुर , अहरौरा, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, भारत

(j)

Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9335100419

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	संजय तिवारी		पिता का नाम : अज्ञात	1. लालपुर,अहरौरा,मिर्ज़ापुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	हृदय नारायन		पिता का नाम : अज्ञात	1. लालपुर,अहरौरा,मिर्ज़ापुर,उत्तर प्रदेश,भारत
3	पंचदेव		पिता का नाम : सदानन्द	1. लालपुर,अहरौरा,मिर्ज़ापुर,उत्तर प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे श्रीमान थाना प्रभारी थाना अहरौरा मिर्जापुर महोदय निवेदन है कगि प्रार्थी जयसिंह पाल पुत्र श्री साधू पाल निवासी लालपुर थाना अहरौरा जिला मिर्जापुर का रहने वाले है। आज 30/07/2023 को समय 1 बजे लगभग हमारे गाव से सटे पहाड़ पर कमपनी के मालीक संजय तिवारी तथा उनके मुनशी हृदय नारायन तथा पंचदेव पुत्र सदानंद निवासीगण लालपुर थाना अहरौरा मिर्जापुर द्वारा भारी मात्रा मे ब्लास्टिंग किया गया जिससे मिट्टी (पत्थर का टुकडा निकल कर मेरे मकान तथा अन्य लोगो के मकान राव छतो पर गिरा जब हम लोग पूछने गये तो गाली गुप्ता देते हुये जान मारने कि धमकी दिये। अतः निवेदन है कि मुकदमा पंजीकृत करे। दिनांक 30/07/2023 प्रार्थी जय सिंह पाल पुत्र श्री साधू पाल ग्राम लालपुर थाना अहरौरा मिर्जापुर mo 9335100419 नोट- मै का0मु0 शिवकुमार यादव प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा बोल- बोलकर अक्षरशःअंकित कराया गया ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** ARUN KUMAR YADAV **Rank (पद):** उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 942190526 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

संलग्नक-1

13. Section 19 (4) (i) of the National Green Tribunal Act, 2010, empowers this Tribunal to pass an interim order (including granting an injunction or stay) after providing the parties concerned an opportunity to be heard, on any application made or appeal filed under the above said Act, while Section 19 (4) (j) thereof empowers this Tribunal to pass an order requiring any person to cease and desist from committing or causing any violation of any enactment specified in Schedule I. While notice is required to be given before passing of interim injunctive order under Section 19 (4) (i) of the National Green Tribunal, 2010, there is no such requirement under Section 19(4) (j) of the National Green Tribunal Act, 2010.

14. Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 requires this Tribunal to apply the principle of sustainable development, the precautionary principle and the polluter pays principle while passing any order or decision or award.

15. In view of the facts and circumstances of the case that all the mining lease project proponents have not obtained CTE/CTO from UPPCB and consequent violation of the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 by the mining lease project proponents, we direct all the mining lease project proponents to cease and desist from committing or causing any violation of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and no further mining shall be carried on in the mining leases in question till further orders to the contrary by this Tribunal.

this Tribunal to pass an interim order (including granting an injunction or stay) after providing the parties concerned an opportunity to be heard, on any application made or appeal filed under the above said Act, while Section 19 (4) (j) thereof empowers this Tribunal to pass an order requiring any person to cease and desist from committing or causing any violation of any enactment specified in Schedule I. While notice is required to be given before passing of interim injunctive order under Section 19 (4) (i) of the National Green Tribunal, 2010, there is no such requirement under Section 19(4) (j) of the National Green Tribunal Act, 2010.

14. Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 requires this Tribunal to apply the principle of sustainable development, the precautionary principle and the polluter pays principle while passing any order or decision or award.

15. In view of the facts and circumstances of the case that all the mining lease project proponents have not obtained CTE/CTO from UPPCB and consequent violation of the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 by the mining lease project proponents, we direct all the mining lease project proponents to cease and desist from committing or causing any violation of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and no further mining shall be carried on in the mining leases in question till further orders to the contrary by this Tribunal.

16. The District Magistrate, Mirzapur and Superintendent of Police, Mirzapur are directed to take all necessary steps for ensuring that no illegal mining takes place from the mining lease sites in question.

17. List for further consideration on 03.07.2023.

11. Reply/response on behalf of respondents no. 1 to 3 be filed within **two weeks** by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

12. Interim order dated 27.04.2023 shall continue to operate and no further mining shall be carried on in the mining leases in question till further orders to the contrary by this Tribunal.

13. In view of the interim order dated 27.04.2023 prohibiting mining in the mining leases in question, precautionary principle and to prevent illegal mining in the area, all the stone crushers operating in the above said villages on the basis of the mining in said mining lease sites shall also remain closed till further orders to the contrary.

14. The District Magistrate, Mirzapur and Superintendent of Police, Mirzapur are directed to take all necessary steps for ensuring that no illegal mining takes place in the mining lease sites in question and the stone crushers in question do not illegally operate.

15. List for further consideration on 25.08.2023.

16. In view of the facts and circumstances of the case, we consider presence of the District Magistrate, Mirzapur before this Tribunal on the next date of hearing to be essential for producing the relevant documents regarding service of notices on respondents no. 4 to 43 and implementation of the interim order dated 27.04.2023 passed by this Tribunal and also for assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case and the District Magistrate, Mirzapur is accordingly

जाएगी। अग्रिम निर्देश की अनुपस्थिति में, इस मामले में न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों और मार्गदर्शिकाओं में प्रावधानित प्रक्रिया लागू होगी। जब निष्क्रिय सुख-मृत्यु एक स्थितिजन्य उपशामक उपाय (situational palliative measure) के रूप में लागू हो जाती है तो रोगी का सर्वोत्तम हित राज्य-हित पर आरूढ़ हो जायेगा।

निर्देश और मार्गदर्शिकाएँ—न्यायालय ने विस्तृत निर्देश और मार्गदर्शिकाएं जारी कीं जो कि **अरुणा शानबाग** के मामले की स्थितियों को भी आच्छादित करेंगी। अग्रिम चिकित्सीय निर्देश गरिमामय जीवन के अधिकार की पवित्रता के फलीभूत होने के परिणामयुक्त साधनों को सुविधाजनक करेंगे क्योंकि यह रोगी के उपचार के क्रम में आवश्यकता के सुसंगत समय बहुत से संदेहों को दूर कर देंगे। इसके अतिरिक्त यह उपचार करने वाले चिकित्सकों के मनोबल को मजबूत करेगा क्योंकि, समाधान के बाद, वे यह सुनिश्चित कर सकने की स्थिति में होंगे कि वे विधिपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं।[1]

अग्रिम निर्देश के लिए न्यायालय ने अग्रिम निर्देश के क्रियान्वयन, अग्रिम निर्देश की विषयवस्तु, इसके अभिलिखित और संरक्षित किए जाने, इसके प्रभाव, चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सीय उपचार वापस लेने से इंकार करने, अग्रिम निर्देश निरस्त करने, या इसकी अप्रयोज्यता (inapplicability) और जब अग्रिम निर्देश आदि न हों, के लिए रक्षोपायों का उल्लेख करते हुए निर्देश जारी किए।

प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपभोग का अधिकार—सुभाष कुमार बनाम **बिहार राज्य**[2] मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रदत्त "प्राण का अधिकार" के अन्तर्गत सम्मिलित है और प्रत्येक नागरिक को जल और वायु के प्रदूषण से बचाने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहित वाद संस्थित करने का अधिकार है।

पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण

मानव जीवन के लिए पर्यावरण का प्रदूषण से मुक्त रहना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए संसद ने अनेक अधिनियम पारित किये हैं जिनमें से वायु प्रदूषण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम और जल प्रदूषण अधिनियम प्रमुख हैं। इन अधिनियमों को लागू करना सरकार का कार्य है। किन्तु विभिन्न सरकारों ने इन्हें गम्भीरता से लागू करने का प्रयास नहीं किया जिसके फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण समाज के लिए एक विकट समस्या बनता जा रहा है और विशेष कर देश के महानगरों में रहने वाले लोगों के जीवन के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। इस कार्य को सम्पादित करने का उत्तरदायित्व हमारे उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों ने अपने हाथ में लिया है और विभिन्न विनिश्चयों में उक्त अधिनियमों के प्राविधानों को लागू करने के लिए समुचित सरकारों एवं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

रूरल लिटिगेशन एण्ड इन्टाइटिलमेन्ट केन्द्र, देहरादून बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[3] के मामले में एक लोकहित वाद फाइल करके न्यायालय को यह बताया गया कि देहरादून में कुल पत्थर की खुदाई के कारण आस-पास का पर्यावरण दूषित हो रहा है और आस पास के निवासियों को हानि पहुँच रही है। न्यायालय ने इस बात की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त किया और समिति की रिपोर्ट मिलने पर इन पत्थर की खानों की खुदाई का काम रोकने का आदेश दिया।

एम० सी० मेहता बनाम **भारत संघ**[4] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के आवासीय क्षेत्र में स्थित श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर कम्पनी की एक इकाई को ओलियम नामक खतरनाक गैस का उत्पादन करने से रोक दिया जब तक कि कम्पनी उन सभी सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाती है जो गैस को निकलने से रोकने के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक हैं। कम्पनी के कारखाने से ओलियम गैस के रिसाव के कारण आस-पास के निवासियों एवं कम्पनी के कर्मकारों को काफी क्षति पहुँची थी। इस मामले को दिल्ली के वकीलों की एक संस्था ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

---

1. पैरा 195.
2. ए० आई० आर० 1991 एस० सी० 420.
3. (1985) 2 एस० सी० सी० 431.
4. (1986) 2 एस० सी० सी० 176.

भारत सरकार (विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय) द्वारा पुरस्कृत

भारत का संविधान

लेखक

डॉ० जय नारायण पाण्डेय

भू० पू० प्रोफेसर, विधि संकाय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

परिवर्द्धित एवं संशोधित

डॉ० सुरेन्द्र सहाय श्रीवास्तव

एल-एल० एम०, एल-एल० डी०

(विधि भूषण सम्मान—उ० प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ)

पूर्व प्राचार्य, बी० एस० बी० आर० ए० लॉ कालेज, हरकंस गढ़ी, लखनऊ,

पूर्व सहयुक्त आचार्य, श्री जय नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ

प्राक्कथन

प्रोफेसर वी० एन० शुक्ल

एल-एल० एम०, पी-एच० डी० (लन्दन)

भूतपूर्व अध्यक्ष, विधि संकाय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

चौवनवाँ संस्करण : 2022

प्रकाशक

सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी

कानूनी पुस्तक-विक्रेता तथा प्रकाशक

30-डी/1, मोतीलाल नेहरू रोड, प्रयागराज

प्रकाशक :

सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी

30-डी/1, मोती लाल नेहरू रोड,
प्रयागराज - 211002

पहला संस्करण	:	1971
इकत्तीसवाँ संस्करण	:	1999
पैंतीसवाँ संस्करण	:	2002
चालीसवाँ संस्करण	:	2007
इकतालीसवाँ संस्करण	:	2008
बयालीसवाँ संस्करण	:	2009
तैंतालीसवाँ संस्करण	:	2010
चौवालीसवाँ संस्करण	:	2011
पैंतालीसवाँ संस्करण	:	2012
छियालीसवाँ संस्करण	:	2013
सैंतालीसवाँ संस्करण	:	2014
अड़तालीसवाँ संस्करण	:	2015
उनचासवाँ संस्करण	:	2016
पचासवाँ संस्करण	:	2017
इक्यावनवाँ संस्करण	:	2018
बावनवाँ संस्करण	:	2019
तिरपनवाँ संस्करण	:	2020
चौवनवाँ संस्करण	:	2022

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

ISBN : 978-81-950762-1-5

मूल्य : ₹ 700.00

इस पुस्तक को यथासम्भव त्रुटिहीन एवं अद्यतन रूप से प्रकाशित करने के सभी प्रयास किये गये हैं, फिर भी यदि कोई त्रुटि या लोप रह गया हो तो कृपया प्रकाशक को सूचित करें ताकि आगामी संस्करण में सुधार किया जा सके। संयोगवश यदि इसमें कोई कमी अथवा त्रुटि रह गयी हो तो उससे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह क्रेता हो या कोई अन्य, कारित क्षति अथवा संताप के लिए लेखक, प्रकाशक एवं मुद्रक का कोई दायित्व नहीं होगा। पुस्तक की बाईन्डिंग में किसी त्रुटि के होने की दशा में प्रकाशक का दायित्व ऐसी पुस्तक को दूसरी पुस्तक से बदलने तक ही सीमित होगा। सभी विवाद इलाहाबाद न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होंगे।

मुद्रक :

आनन्द ऑफसेट
प्रयागराज